FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

रोशनअली बनाम सरकार

किस्म मुकदमा :–प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट

मु.नं. एवं सन 122/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
17-02-23	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी जवाब बंद किया जाकर बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। न्यायालय द्वारा पत्रावली का अध्ययन अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र पर दिनांक 5.08.2022 से आजतक ऐसा कोई मजबूत साक्ष्य/सबूत या तथ्य पेश नहीं किया गया जिससे प्रथमदृष्ट्या मामला बनता हो या प्रार्थी को अपूर्तिनीय क्षति होती प्रतीत हो इसलिए प्रार्थनापत्र पर गौर फरमाने के बाद वादगत भूमि पर स्थगन जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है एवं प्रार्थी स्थगन के मूल बिंदू/आधार प्रथमदृष्ट्या मामला, अपूर्तिनीय क्षति, सुविधा का संतुलन आदि को साबित करने में असफल रहा है। अतः यह पत्रावली सारहीन होने कारण इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल दावा के साथ संलग्न हो।	